



①

UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR
Office Order

No. Acad II/2018/ 21285

Dated: 31/12/2018

As per orders of the Hon'ble Vice Chancellor dated 31.12.2018, and the recommendation of the Dean Faculty of Law as well as the Inspection Report dated 27.12.2018, Kisan Law College, Kanti chandra Road, Bani Park, Jaipur is hereby granted provisional Fresh Affiliation for B.A. L.L.B (5 Year Integrated Course) for the session 2019-20, subject to adherence to the deficiencies laid down by the Inspection team(s) within 02 (Two) months

Name of College	Course/Subject & Conditions	Condition /Recommendation made by Inspection team	No. of Seats	Affiliation Applied Fresh/Extension/ Increase Intake/Additional/ Permanent
Kisan Law College, Kanti chandra Road, Bani Park, Jaipur	B.A. L.L.B. (5 Year Integrated Course)	Books and Journals are required for Rs. at least 2 Lakhs. Air also requested	120	Fresh affiliation has been granted provisionally

31/12/18
Registrar

No. Acad.II/2018 21286-91

Dated: 31/12/2018

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. The Principal of the concerned College.
2. Controller of Examinations UOR, Jaipur.
3. The Director, In-forest Centre, UOR, Jaipur with the request to upload the above Office Order on the University website
4. PS to VC UOR, Jaipur
5. PA to Registrar / CF&FA UOR, Jaipur

Raj / Jaipur
Deputy Registrar 31/12/18
(Academic-II)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (104)आकाशि/नि.सं./2017/

1376

दिनांक:-

28/3/2018

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2020-2021 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
राजस्थान किसान छात्रावास ट्रस्ट, कान्ती चन्द रोड़, दनीपार्क, जयपुर।	किसान विधि महाविद्यालय, कान्ती चन्द रोड़, बनीपार्क, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर विधि-पंचवर्षीय पाठ्यक्रम।

1. संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
 2. संस्था सत्र 2021-22 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
 3. संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
 4. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
 5. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
 6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
 7. संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आबंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ को नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
 8. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
 9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
 10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
 11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.alshe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
- उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, गी0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।